—प्रेस नोट—
जनपद मीरजापुर।

दिनांक – 08.06.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में , थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹ 5,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 02.02.2020 को निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव प्रभारी निरीक्ष थाना अदलहाट द्वारा मु0अ0सं0-27/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट बनाम शहनवाज अहमद पुत्र मल्लू शेख निवासी बड़गवां थाना शहाबगंज चन्दौली पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01.06.2020 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अभियुक्त को दिनांक 08.06.2022 को मा0न्यायालय स्पेशल(J) G. Act. मीरजापुर द्वारा 02 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

शहनवाज अहमद पुत्र मल्लू शेख निवासी बड़गवां थाना शहाबगंज चन्दौली।